CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 29 अंक- 68 रायपुर, गुरुवार 2 अप्रैल 2026 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

ब्रेकिंग न्यूज

'किसी भी हालात का सामना करने को भारत तैयार', पश्चिम एशिया संकट पर बोले राजनाथ सिंह

नई दिल्ली, 2 अप्रैल (न्यूज चैनल)। केरल विधासभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्य में प्रचार की कमान संभाली। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में ईंधन या गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी ऊर्जा संकट से निपटने के लिए तैयार है। केरल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना हमारे टैंकरों को होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से ला रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के हितों की रक्षा के लिए अपनी कूटनीतिक कुशलता का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, आज हम सभी बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। केरल के बहुत सारे लोग इन देशों में रहते हैं और काम करते हैं, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग पश्चिम एशिया के इस संघर्ष के कारण झूठ फैलाकर तनाव फैलाना चाहते हैं।

बिरादरी की बातें

चूहा- 23 साल पुराने केस में अमित जोगी को बिलासपुर हाईकोर्ट सरेंडर करने कह रहा है।
चुहिया- हां जी, भारत के कोर्ट कचहरी का कोई ठिकाना नहीं कब किसको बुला ले।

जग्गी हत्याकांड मामला

अमित जोगी को बड़ा झटका तीन हफ्ते में करना होगा सरेंडर

हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

बिलासपुर, 2 अप्रैल (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी को बड़ा झटका लगा है। आज इस केस में हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच (डीबी) ने मुख्य आरोपी रहे अमित जोगी को तीन हफ्ते में सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि साल 2003 में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। इस मामले में 2007 में निचली अदालत ने 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। 4 जून 2003 को एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को सजा मिली थी। हालांकि 31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था। रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर अमित के पक्ष में स्टे लगा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस को हाईकोर्ट भेज दिया। कारोबारी बैकग्राउंड वाले रामावतार जग्गी देश के बड़े नेताओं में शुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी थे। जब शुक्ल कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए तो जग्गी भी उनके साथ गए।

विद्याचरण ने जग्गी को छत्तीसगढ़ में एनसीपी का कोषाध्यक्ष बना दिया था। जग्गी हत्याकांड में अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, (मृत) विक्रम शर्मा, जबवंत, विश्वनाथ राजभर दोषी पाए गए थे।

हाईकोर्ट के फैसले पर अमित जोगी ने कहा- मेरे साथ अन्याय हुआ, सर्वोच्च न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में अमित जोगी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि आज उच्च न्यायालय ने बिना सुनवाई का अवसर दिए मेरे विरुद्ध ष्ट्क्ष्ठ की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। मुझे खेद है कि जिस व्यक्ति को अदालत ने दोषमुक्त किया था, उसे बिना सुनवाई का एक भी अवसर दिए दोषी करार दिया गया। यह अप्रत्याशित है। अमित जोगी ने कहा, अदालत ने मुझे 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझे लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। सत्य की जीत अवश्य होगी।

अवैध संबंध के शक में वारदात: आरोपी ने नाबालिग बेटों के साथ मिलकर परिवार पर किया हमला

बुजुर्ग महिला की आंख निकालकर उतारा मौत के घाट, 7 लोगों की हालत नाजुक

बिलासपुर, 2 अप्रैल (हाईवे चैनल)। बिलासपुर जिले में एक परिवार पर जानलेवा हमला का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी सुरेश श्रीवास ने अपनी तलाकशुदा पत्नी से अवैध संबंधों के शक में बुधवार को गांव के ही शेख सलीम के घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोपी ने बेहरमी से शेख सलीम की मां की आंख निकालकर हत्या कर दी. हमले में परिवार के आधा दर्जन सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं उसके दो नाबालिग बेटों को अभिरक्षा में रखा गया है. मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, ग्राम पेंडरवा निवासी 46 वर्षीय सुरेश श्रीवास को शक था कि उसकी पत्नी का गांव के ही शेख सलीम से अवैध संबंध है. इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में पहले भी कई बार विवाद हो चुका था. तीन-चार माह पहले सुमित श्रीवास ने इसी बात पर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था. सुरेश श्रीवास लगातार शेख सलीम से रंजिश रखे हुए था. इसी बात को लेकर अपने दो नाबालिग बेटों के साथ मिलकर आज तलवारों से लैस होकर सुरेश श्रीवास शेख सलीम की हत्या करने उसके घर में घुस गया. शेख सलीम के नहीं मिलने पर आरोपी पति और उसके बेटों ने परिवार पर हमला कर दिया. सलीम की मां मुराद बेगम (65) की तलवार से हमले में मौत हो गई. तलवार की वार से मुराद सलीम की मां मुराद बेगम की आंख निकल कर बाहर आ गई और उसकी मौत हो गई।

इसके अलावा घर में मौजूद अन्य सदस्यों पर भी तलवार से हमला किया गया. आधा दर्जन अन्य लोग भी घायल हो गए. घटना के बाद लहूलुहान हालत में पीड़ित परिवार गाड़ी में भराकर रतनपुर थाना पहुंचे और घटना की सूचना दी. पीड़ित शेख शब्बीर ने बताया कि मेरे छोटे भाई शेख सलीम से अवैध संबंध की बात पर सुरेश श्रीवास का विवाद चल रहा था. इसी को लेकर उसने अपने दोनों बेटों के साथ घर में घुसकर हमला किया. हमले में मेरी मां की मौत हो गई और परिवार के 6 सदस्य घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी रजनेश सिंह,एडिशनल एसपी मधुलिका सिंह, एसडीओपी नूपुर उपाध्याय, टीआई अंशिका जैन (आईपीएस) गांव पहुंच गए. हत्याकांड से तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात की गई. पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सुरेश श्रीवास को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके दोनों नाबालिग बेटों को अभिरक्षा में ले लिया है. घायलों को सिम्स अस्पताल भिजवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

घायलों के नाम - सोना परवीन (पिता शेख साबिल), साक्षित परवीन (पिता शेख रज्जाक), रेहान परवीन (पिता शेख सबीर खान), शहनाज बेगम (पति शेख राजू), अलीशा (पिता शेख सलीम), अयान शेख (पिता शेख)।

टीएमसी से जुड़ी कंपनी आई-पीएसी के ठिकानों पर तलाशी; दिल्ली-बंगलूरु-हैदराबाद में ईडी का तलाशी अभियान

नई दिल्ली, 2 अप्रैल (न्यूज चैनल)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के अनुसार ईडी ने कई शहरों में आई-पीएसी के ठिकानों पर तलाशी ली है। अधिकारियों ने बताया कि राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी के कुछ अधिकारियों से जुड़े परिसरों पर नए सिरे से तलाशी अभियान चलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई दिल्ली, बंगलूरू और हैदराबाद में एक साथ की गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच हो रही ईडी की इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हंगामे के आसार हैं। दरअसल, पिछली बार जब ईडी के अफसर कोलकाता में आई-पैक के ठिकाने पर तलाशी लेने पहुंचे थे, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई थीं।

बंगाल के मामले पर सीजेआई सख्त, पूछा- मालदा के डीएम-एसपी क्यों नहीं गए, ये अदालत को चुनौती जैसा

नई दिल्ली, 2 अप्रैल (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया में तैनात न्यायिक अधिकारियों के साथ हुई हिंसा और डराने-धमकाने की घटनाओं पर गंभीर रुख अपनाया है। इस मामले पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने स्वत- संज्ञान लेते हुए सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के डीएम और पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रवैये पर भी सख्त टिप्पणी की। सीजेआई सूर्यकांत ने पूछा कि दोनों अधिकारी मौके पर क्यों नहीं पहुंचे। सात न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाकर रखे जाने का ये मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि ये मामला अदालत को चुनौती देने जैसा है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को भी फटकार लगाई। सीजेआई ने कहा कि मालदा में हुई हिंसा की घटना न्यायपालिका पर दबाव बनाने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था को भी चुनौती देने की तरह है। कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में सरकार के रवैये को लचर बताया और कहा कि इस मामले में तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस घटना को न्याय प्रशासन में बाधा डालने की सुनियोजित और दुस्साहसी कोशिश करार दिया। कोर्ट ने कहा कि सात न्यायिक अधिकारियों, जिनमें तीन महिला अधिकारी भी शामिल हैं, को घंटों तक बिना सुरक्षा, भोजन और पानी के छोड़ दिया गया, जबकि राज्य प्रशासन को पहले से सूचना दी गई थी।

दतिया विधायक राजेंद्र भारती को कोर्ट से तीन साल की सजा, संकट में विधायकी

नई दिल्ली, 2 अप्रैल (न्यूज चैनल)। मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा हुई है। इस खबर के बाद सियासी गलियारों में विधायक भारती को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के द्वारा विधायक भारती को दोषी करार दिया गया था। आज सजा सुनाई गई है।

राजेंद्र भारती को दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) घोटाले के मामले में दोषी करार देते हुए तिहाड़ जेल भेज दिया है। कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी पाया। करीब 25 साल पुराने घोटाले के इस मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती और बैंक कर्मचारी रघुवीर शरण प्रजापति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को बैंक के साथ धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी पाया है। यह सजा दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) घोटाले से जुड़े मामले में सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पाए जाने के बाद यह फैसला दिया। यह मामला कई वर्षों से चर्चा में था। इस केस में कोर्ट ने बैंक कर्मचारी रघुवीर शरण प्रजापति को भी दोषी माना है। अब दोनों धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में फंस चुके हैं। इस घोटाले की कहानी 24 अगस्त 1998 से शुरू होती है, जब राजेंद्र भारती की मां सावित्री श्याम ने जिला सहकारी ग्रामीण विकास बैंक, दतिया में 10 लाख रुपये की एफडी कराई थी। यह एफडी 13.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर की गई थी। उस समय राजेंद्र भारती बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष थे। वहीं श्याम सुंदर श्याम जनसहयोग एवं सामुदायिक विकास संस्थान से जुड़े हुए थे, जिससे दोनों का प्रत्यक्ष लाभ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है।

असम में कांग्रेस की रैली, राहुल ने संविधान का जिक्र कर लिए अदाणी-पतंजलि के नाम; सरकार को घेरा

नई दिल्ली, 2 अप्रैल (न्यूज चैनल)। लोकसभा विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए असम पहुंचे है। इस दौरान उन्होंने कार्बी आंगलोंग में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा, असम फूलों का एक गुलदस्ता है, जिसमें अलग-अलग धर्म, जाति और विचारधाराओं के लोग साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस की सोच है, हिंदुस्तान की जनता के हाथ में असली ताकत हो, देश को चलाने में हर वर्ग को भागीदारी मिले। दूसरी तरफ भाजपा की विचारधारा है कि असम को दिल्ली से चलाया जाए। राहुल के अनुसार, यही लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने अनुच्छेद 244ए इसलिए लागू किया क्योंकि हमारा मानना है कि फैसले स्थानीय स्तर पर होने चाहिए। ये फैसले गुवाहाटी या दिल्ली से नहीं, बल्कि यहीं आपके नेता और परिषदें लें। यही हमारे और उनके बीच का फर्क है। आपको लगता है कि फैसलों का सिलसिला गुवाहाटी से शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी जमीन छीनकर अडानी को अंबानी और पतंजलि बीघा जमीन दे दी गई। हजारों बीघा जमीन दूसरी बड़ी कंपनियों को भी मिली हैं। आपको यह समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच एक समझौते पर दस्तखत किए। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहां इसकी बात क्यों कर रहा हूं। आपको यह समझना होगा कि दबाव कहां से आ रहा है। उस समझौते में भारत की खेती-किसानी के रास्ते इस तरह खोले गए हैं, जिसका बुरा असर हमारे किसानों पर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आज अगर भारत रूस, ईरान या इराक जैसे देशों से तेल खरीदना चाहता है, तो उसे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ती है।

आज से शुरू होगी अंबिकापुर-कोलकाता हवाई सेवा, सप्ताह में दो दिन चलेगी फ्लाइट

अंबिकापुर, 2 अप्रैल (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से कोलकाता के लिए हवाई सेवा गुरुवार यानि आज से शुरू हो जाएगी। एलायंस एयर सप्ताह में दो दिन अंबिकापुर और कोलकाता के बीच उड़ान संचालित करेगी। इसी सप्ताह एलायंस एयर ने अंबिकापुर-दिल्ली के लिए भी हवाई सेवा शुरू की है। अंबिकापुर से कोलकाता के लिए नई फ्लाइट गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। गुरुवार को फ्लाइट बिलासपुर होते हुए अंबिकापुर पहुंचेगी और फिर कोलकाता के लिए रवाना होगी, जबकि शनिवार को अंबिकापुर से बिलासपुर होते हुए कोलकाता के लिए उड़ान भरेगी। अंबिकापुर-कोलकाता रूट पर पहली फ्लाइट गुरुवार सुबह 10-25 बजे उड़ान भरेगी।

एलायंस एयर ने अपने विंटर शेड्यूल में अंबिकापुर से दिल्ली और कोलकाता की हवाई सेवाएं जोड़ी है। अंबिकापुर से दिल्ली फ्लाइट का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री ने 30 मार्च को किया था। दोपहर 12 बजे मां महामाया एयरपोर्ट, दरिमा (अंबिकापुर) से पहली फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, जिसमें सांसद चिंतामणी भी सवार हुए थे। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए फ्लाइट सप्ताह में दो दिन सोमवार और बुधवार संचालित होगी। अंबिकापुर-दिल्ली का किराया 6,500 रुपए तय किया गया है। वहीं अंबिकापुर-कोलकाता फ्लाइट का बेस फेयर करीब 6,000 रुपए रखा गया है। हालांकि यह रिजर्वेशन नियमों के तहत बढ़ भी सकता है।

अंबिकापुर-कोलकाता फ्लाइट शेड्यूल

गुरुवार- कोलकाता से उड़ान 7.05 बजे- बिलासपुर पहुंच 8.55 बजे, बिलासपुर से छूट 9.20 बजे, अंबिकापुर पहुंच 10 बजे, अंबिकापुर से छूट 10.25 बजे, कोलकाता पहुंच 12.15 बजे।

शनिवार - कोलकाता से छूट 11.20 बजे, अंबिकापुर पहुंच 13.10 बजे अंबिकापुर से छूट-13.35 बजे, बिलासपुर पहुंच 14.15 बजे बिलासपुर से छूट-14.40 बजे, कोलकाता पहुंच-16.30 बजे

रायपुर-अंबिकापुर-वाराणसी के लिए हवाई सेवा शुरू करने की मांग

अंबिकापुर से दिल्ली फ्लाइट सेवा शुरू करने के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सांसद चिंतामणि महाराज एवं मंत्री राजेश अग्रवाल ने रायपुर से अंबिकापुर होते हुए वाराणसी हवाई सेवा शुरू करने की मांग रखी है। सांसद चिंतामणि महाराज ने इसके लिए इंडिगो से भी चर्चा की है। इस सेवा के भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

हमारे दिल में आपके लिए दुश्मनी नहीं, जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी जनता को लिखा भावुक पत्र

नई दिल्ली, 2 अप्रैल (न्यूज चैनल)। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने अमेरिकी जनता को संबोधित एक पत्र में कहा कि उनका देश आम अमेरिकियों के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ईरान से सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, और ऐसे दावों को उसकी ऐतिहासिक वास्तविकता के विपरीत बताया। ईरान को दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर सभ्यताओं में से एक बताते हुए उन्होंने कहा कि देश ने कभी भी आक्रामकता या युद्ध में भाग नहीं लिया है।

ईरान अपने इसी नाम, चरित्र और पहचान से मानव इतिहास की सबसे प्राचीन निरंतर सभ्यताओं में से एक है। विभिन्न समयों पर ऐतिहासिक और भौगोलिक लाभों के बावजूद, ईरान ने अपने आधुनिक इतिहास में कभी भी आक्रामकता, विस्तारवाद, उपनिवेशवाद या प्रभुत्व का मार्ग नहीं चुना। वैश्विक शक्तियों के कब्जे, आक्रमण और निरंतर दबाव को सहने के बाद भी और अपने कई पड़ोसियों पर सैन्य श्रेष्ठता होने के बावजूद ईरान ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की। फिर भी इसने दृढ़ता और बहादुरी से उन लोगों को खदेड़ा है जिन्होंने इस पर आक्रमण किया है। ईरानी लोग अन्य राष्ट्रों के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखते, जिनमें अमेरिका, यूरोप या पड़ोसी देशों के लोग शामिल हैं। अपने गौरवशाली इतिहास में बार-बार विदेशी हस्तक्षेपों और दबावों का सामना करने के बावजूद, ईरानियों ने सरकारों और उनके द्वारा शासित लोगों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखा है। यह ईरानी संस्कृति और सामूहिक चेतना में गहराई से निहित सिद्धांत है कोई अस्थायी राजनीतिक रुख नहीं। इसी कारण, ईरान को खतरे के रूप में चित्रित करना न तो ऐतिहासिक वास्तविकता के अनुरूप है और न ही वर्तमान प्रत्यक्ष तथ्यों के। ऐसी धारणा शक्तिशाली देशों की राजनीतिक और आर्थिक सनक का परिणाम है - दबाव को उचित ठहराने, सैन्य प्रभुत्व बनाए रखने, हथियार उद्योग को बढ़ावा देने और रणनीतिक बाजारों पर नियंत्रण रखने के लिए एक शत्रु गढ़ने की आवश्यकता। ऐसे वातावरण में, यदि कोई खतरा मौजूद नहीं है, तो उसे गढ़ा जाता है। इसी ढांचे के भीतर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी अधिकांश सेनाओं, ठिकानों और सैन्य क्षमताओं को ईरान के आसपास केंद्रित किया है - एक ऐसा देश जिसने, कम से कम संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना के बाद से, कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की है। इन्हीं ठिकानों से किए गए हालिया अमेरिकी आक्रमणों ने यह प्रदर्शित किया है कि ऐसी सैन्य उपस्थिति वास्तव में कितनी खतरनाक है।

CMYK